राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019/89569-576 दिनांक 25.9.19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर परिषद्/पालिका,
जैसलमेर, बूंदी, नागौर,
करौली, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं

विषयः–शहरी जलापूर्ति के पेटे आयोजना मद में अनुदान आवंटन एवं वित्त विभाग द्वारा चाही गई सूचना देने बाबत्।

संदर्भः–बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 15554–572 दिनांक 18.04.2019

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित बैठक कार्यवाही विवरण के क्रम में शहरी जलापूर्ति संचालन एव संधारण के लिए अयोजना मद में शेष बची राशि आप अपनी प्राथमिकता के आधार पर घरेलू वाटर मीटर लगाने/खराब मीटर बदलने, रूकी हुई/प्रदूषित पाईपलाईन बदलने/नई पाईपलाईन डालने–बिछाने, निर्मित नलकूपों में सबमर्सिबल पम्पसेट बदलने का कार्य एवं नये स्त्रोत निर्माण के कार्यों के लिए व्यय कर एवं राशि शून्य कर इस कार्यालय को अवगत कराए।

वित्त विभाग द्वारा चाही गई पूंजीगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक विधायक/सांसद कोष से करवाए गए कार्यों के विवरण से संबंधित सूचना सलग्न प्रारूप में भरकर भिजवाए।

इसे अतिआवश्यक समझें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019/89577-89588 दिनांक 25.9.19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
5. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Status of Fund transfer arranged under MP/ MLA - LAD for water supply works

Plan - (4217)

Name of ULB

Rs . In Lacs

S.No	Financial year	Budget alloted	Fund arranged through MP/ MLA - LAD Head	Total	Expenditure incurred					Total
					Pipeline	Civil Structure (CWR/SR/RH etc)	Pumping Machinery	Construction of Source	other	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=6+7+8+9+10
	2013-14									
	2014-15									
	2015-16									
	2016-17									
	2017-18									

IMG_0001.jpg

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org E-mail-ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस / बजट प्लान / 2019 / 15554 दिनांक 18.4.19

बैठक कार्यवाही विवरण

आठ नगरीय निकायों द्वारा शहरी जलप्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण हेतु निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में निदेशालय के सभागार में दिनांक 05.04.2019 को बैठक का आयोजन किया गया। उपस्थित अधिकारीगणों की सूची संलग्न परिशिष्ट–'क' पर उपलब्ध है।

बैठक में आठ नगरीय निकायों की शहरी जलप्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण व पूंजीगत कार्यो पर चर्चा की गई एवं सभी आठ शहरों से आये आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी से उनके शहर की जलप्रदाय योजना की नवीनतम स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, साथ ही बिजली के बिलों के भुगतान के कम में की गयी कार्यवाही की कियान्विति रिपोर्ट चाही गयी।

सभी आठ शहरों यथा नागौर, करौली, बूंदी, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चौमूं, नोखा व नाथद्वारा की पेयजल योजनाओं पर विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:

1. सभी आठ नगर निकाय उनके शहर में होने वाले जल वितरण का अंतराल (Interval of Water Supply) व जल वितरण के समय (Duration of Water Supply) की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. सभी नगर निकायों द्वारा उनके शहर में पांच वर्ष पूर्व (01.04.2013) एवं वर्तमान (01.04.2019) में बकाया जल राजस्व और जल संबंधो की संख्या की स्थिति से अवगत करावें।
3. सभी नगरीय निकाय कुल जल उत्पादन, छीजत (NRW), बिल योग्य मापित जल की मात्रा एवं शहर का वर्तमान सर्विस लेवल (LPCD) की सूचना संलग्न प्रारूप में प्रेषित करें।
4. भविष्य में होने वाली विभागीय समीक्षा मीटिंग में इन आठ शहरों की जलप्रदाय योजना की स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक विद्युत संबंध को आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वंय व्यक्तिशः देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत मीटर सही स्थिति में है और जलस्त्रोत/पम्पहाउस कियाशील है। यदि जल स्त्रोत सूख गया है अथवा अवरूद्ध हो गया है तो तुरंत विद्युत संबंध विच्छेद की कार्यवाही करें, ताकि विद्युत बिलों के व्यय में कमी लायी जा सके।
6. सभी आठ नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं का अवलोकन करने पर पाया कि बूंदी, चौमूं एवं नोखा द्वारा सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गयी है जबकि जैसलमेर, नागौर, करौली एवं नाथद्वारा द्वारा सूचनाऐं अपूर्ण एवं अप्राप्त है। ये चारों शहर एक सप्ताह में पूर्ण एवं सठीक सूचना निदेशालय को प्रेषित करेंगे पालना न किये जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
7. मंत्रीमण्डल ज्ञापन सं. 204/2012 के बिन्दु सं. 15(IV) के कम में पेयजल प्रयोजनार्थ आवश्यक नवीन कार्यो हेतु स्थानीय निकाय अपने स्तर पर राज्यसभा/लोकसभा सासद, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि एवं अन्य संसाधन/ऋण से भी पूंजीगत निवेश कर सकते है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस / बजट प्लान / 2019 / 15555–15572 दिनांक 18.4.19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. समस्त उपनिदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, श्रीगंगानगर/जैसलमेर/बूंदी/नागौर/करौली/नाथद्वारा/चौमूं/नोखा संलग्न:–उपरोक्तानुसार।
6. सुरक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता

P:\Lokesh\Office\Budget Plan\Letter.docx